

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा प्रथम) मध्यप्रदेश, ग्वालियर 474002**

**शासकीय आवास आवंटन के लिये आवेदन पत्र का प्रोफार्मा \***

1	सरकारी कर्मचारी का नाम (हिन्दी एवं अंग्रेजी में स्पष्ट अक्षरों में )	
2	पदनाम एवं स्थायी क्रमांक	
3	कार्यालय जिसमें कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है	
4	इच्छित आवास का टाइप	
5	इच्छित आवास टाइप की पात्रता ग्रेड वेतन धारित करने का दिनांक	
6	Pool जिसके अंतर्गत आवास आवंटन चाहा गया है— (Gen. Pool/SC-ST Pool/Ladies Pool)	
7	दिनांक 01/01/2023 को मूल वेतन(लेवल सहित)	
8	शासकीय सेवा में आने का दिनांक एवम् उस कार्यालय का नाम	
9	जन्म तिथि	
10	सेवानिवृत्ति दिनांक	
11	भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में आने का दिनांक	
12	दिनांक 01/03/2023 को पदक्रम सूची का पृष्ठ एवं सरल क्रमांक	
13	Ex-serviceman के संदर्भ में पूर्व सेवा की अवधि	
14	श्रेणी— सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	
15	क्या कर्मचारी विकलांग है यदि हाँ तो विकलांगता की प्रकृति लिखे (अस्थि विकलांग, श्रवण विकलांग, दृष्टि विकलांग )	
16	परिवार के सदस्यों की संख्या एवं आवेदक से संबंध	
17	क्या पदस्थापना स्थान पर या नगर पालिका परिसीमा के अन्दर आवेदक के नाम से अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई मकान है।	
18	यह मूल प्रथम आवेदन है या नवीनीकरण है या परिवर्तन है	
19	ऑफिशियल ई-मेल आई-डी	
20	वर्तमान निवास का सही पता व दूरभाष क्रमांक	

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मेरे द्वारा आवास आवंटन नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। मेरे पति/पत्नी को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा शासकीय आवास आवंटित नहीं किया गया है। सम्पदा अधिकारी द्वारा बेदखली आदेश जारी होने के एक माह के भीतर आवंटित शासकीय आवास मेरे द्वारा रिक्त कर दिया जावेगा।

**ग्वालियर**

**दिनांक**

**प्रतिहस्ताक्षरितः**

**स.ले.प.अ./स.ले.अ./प्रशासन—**

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम .....

पदनाम व स्थाई क्रमांक .....

अनुभाग का नाम .....

अनुभाग का दूरभाष .....

**नोट 1-** शासकीय आवास के आवंटन होने के पश्चात यदि शासकीय अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदस्थापना स्थान पर या नगर पालिका क्षेत्र में कोई मकान का मालिक हो जाता/जाती है तो नियम 3B(3) के अन्तर्गत एक माह के भीतर संपदा अधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करें ।

2. आवंटन आदेश के जारी होने के 8 दिन के भीतर आदेश प्राप्त न करने अथवा आदेश प्राप्ति के 5 दिन के भीतर आवंटित आवास का अधिपत्य न लेने के स्थिति में आवंटन निरस्त माना जावेगा एवं आदेश जारी होने के दिनांक से तीन माह पुनः आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी । इसके अतिरिक्त आवंटित आवास का एक माह का विज्ञप्ति शुल्क एवं जल प्रभार भी वसूला जावेगा ।

3. शास्त्री नगर रहवासी संस्था मर्यादित, ग्वालियर (म.प्र.) में नियमानुसार सदस्यता ग्रहण करने हेतु मैं मासिक अंशदान (आवास के Type के अनुसार) प्रदान करने हेतु अपनी सहमति प्रकट करता/करती हूँ ।

**ग्वालियर**

**दिनांक**

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम .....

पदनाम व स्थाई क्रमांक .....